



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

### हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लहरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 04.10.2020 को मु0अ0सं0 411/20 धारा 323/504/506/307 भा.द.वि. व 3(1)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना लहरपुर जनपद सीतापुर में वांछित अभियुक्तगण 1.रामू तिवारी पुत्र रामसेवक 2.सुरजी उर्फ सुरजीत रैदास पुत्र मोतीलाल 3.श्यामू तिवारी पुत्र रामसेवक निवासीगण ग्राम लौधौरा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को पोंगलीपुर नहरपुल के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिनमें से अभियुक्त श्यामू तिवारी उपरोक्त के कब्जे से मु0अ0सं0 411/20 धारा 323/504/506/307 भा.द.वि. व 3(1)(V) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व 01 अदद खोखा कारतूस नाजायज बरामद हुआ है। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लहरपुर पर मु0अ0सं0 417/20 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट बनाम श्यामू तिवारी उपरोक्त के पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही पश्चात् अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. रामू तिवारी उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम लौधौरा लहरपुर सीतापुर।
2. सुरजी उर्फ सुरजीत रैदास उम्र करीब 40 वर्ष पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम लौधौरा लहरपुर सीतापुर।
3. श्यामू तिवारी उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम लौधौरा लहरपुर सीतापुर।

### बरामदगी विवरण

- अभियुक्त श्यामू के पास से एक अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद नाजायज देशी कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना लहरपुर

1. उ0नि0 उदयवीर यादव
2. हे0का0 लक्ष्मीकांत तिवारी
3. का0 अखिलेश यादव
4. का0 रोबिन सिंह

